विवरणिका

Prospectus

❖ 2018-2019

S.C.S.S. GOVERMENT DEGREE COLLEGE KAPKOTE BAGESHWER

विद्या ददाति विनयम्

स्व0 चन्द्र सिंह शाही

राजकीय महाविद्यालय, कपकोट (बागेश्वर)

सम्बद्ध– कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

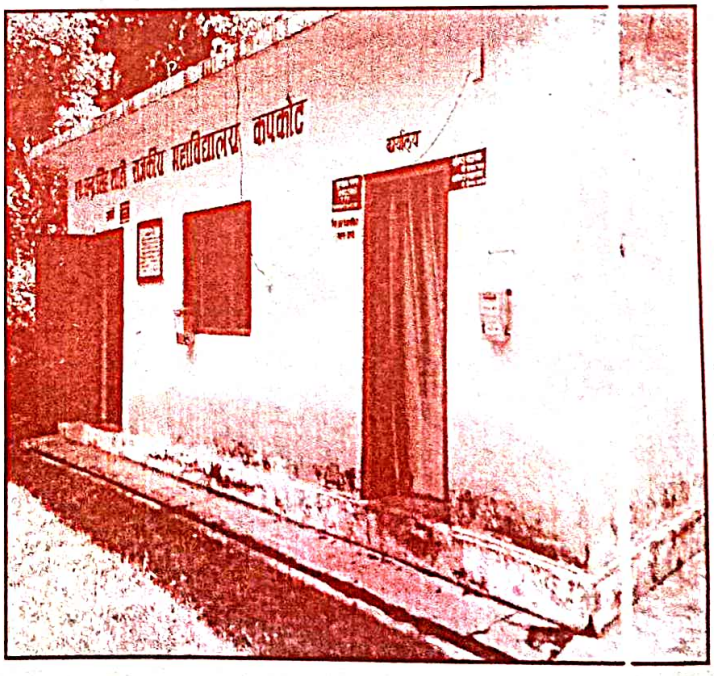

गंगा गोदावरी चैव नर्मदे ताम पादिका।
सरस्वती सरयू रेवा पंच गंगा प्रकृतिता।।

गिरिराज हिमालय के मध्य में स्थित सात गंगाओं में से एक सरयू गंगा (जो भगवान विष्णु के वामपाद से निकलकर हम सभी को कृतार्थ करती है, जिसका उद्गम स्थान बागेश्वर जनपद के ग्राम पंचायत-झूनी, विकास खण्ड- कपकोट से लगभग 07 किमी. दूर स्थित सरयूमूल (सरमूल) है) के पवित्र तट पर अवस्थित स्व0 चन्द्र सिंह शाही राजकीय महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में हुई।

सत्र 2006-07 में कु0वि0वि0 नैनीताल से स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, चित्रकला, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र विषयों की अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त होने के साथ ही 67 छात्र-छात्राओं के प्रवेश के साथ पठन-पाठन का शुभारम्भ हुआ। तब से अद्यतन शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियों के विकास में स्थानीय बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग/प्रयासों से महाविद्यालय निरस्तर विकास पथ पर अगसर है। वर्तमान में महाविद्यालय हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, चित्रकला, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं उ0मु0वि0वि0 द्वारा संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर, डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एन.एस.एस., एन.सी.सी., क्रीड़ा, राज्य सरकार व भारत सरकार की विकासपरक योजनायें संचालित हो रही हैं। जिसके द्वारा महाविद्यालय के विकास के साथ ही क्षेत्र के विकास एवं युवाओं को रोजगार परक क्षेत्रों से जोड़ने की दिशा में सतत प्रयास जारी है।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वित्तपोषित महाविद्यालय का नवनिर्मित भवन एवं रूसा परियोजना द्वारा वित्तपोषित महाविद्यालय के कम्प्यूटर केन्द्र का भवन भविष्य में महाविद्यालय को प्राप्त होगा जिसका लाभ छात्र-छात्रायें ले सकेंगे।

मैं महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले अपने समस्त छात्र/छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर वे अपने क्षेत्र, समाज एवं देश की सेवा में अपनी ऊर्जा लगायेंगे।

प्राचार्य
डॉ ए. के. जोशी
स्व0 चन्द्र सिंह शाही
राजकीय महाविद्यालय कपकोट
(बागेश्वर)

विवरणिका

PROSPECTUS

2018-19

स्व0 चन्द्र सिंह शाही
राजकीय महाविद्यालय, कपकोट (बागेश्वर)

सम्बद्ध- कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

स्थापना : 2005

पत्राचार का पता:-
ग्राम व पोस्ट- असौं, तहसील- कपकोट, जनपद- बागेश्वर
पिन- 263642

Phone/Fax No. : 05963-253453
E-mail : kapkotebgr@gmail.com

स्व0 चन्द्र सिंह शाही जी एक परिचय

प्रख्यात स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी स्व0 चन्द्र सिंह शाही जी का जन्म 12 अगस्त 1909 को ग्राम असों (कपकोट), जनपद- बागेश्वर में हुआ था। देश सेवा की भावना से ओत-प्रोत होकर 17 फरवरी 1941 ई0 को उन्होने प्रथम बार व्यक्तिगत सत्याग्रह किया तथा स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान अल्मोड़ा, बरेली, लखनऊ आदि जेलों में भी बन्द रहे। 27 दिसम्बर 1944 ई0 को कपकोट में मंडल कांग्रेस की स्थापना की और मंत्री बने। 1948 से 1958 तक वे जिला बोर्ड अल्मोड़ा के निर्वाचित सदस्य रहे। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग दिया। 1950 में असों में जूनियर हाईस्कूल सनेती और जूनियर हाईस्कूल कर्मी की स्थापना में सहयोग दिया। 1950 में असों में जूनियर हाईस्कूल खोलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा क्षेत्रीय स्तर पर बच्चों की शिक्षा को नया आयाम देने के लिये इस विद्यालय को हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। स्व0 चन्द्र सिंह शाही ने बागेश्वर से कपकोट तक श्रमदान से सड़क बनवाई, सड़क निर्माण में दानपुर के प्रत्येक गांव के नागरिकों ने सहयोग दिया। सामाजिक कार्यो को करने में उनकी विशेष रूचि रही क्षेत्र के चहुँमुखी विकास हेतु उन्होने अन्धविश्वास, रूढ़िवादिता तथा अशिक्षा को दूर करने का प्रयास किया। स्व0 चन्द्र सिंह शाही को स्वतन्त्रता संग्राम में स्मरणीय योगदान के लिये राष्ट्र की ओर से स्वतन्त्रता के 25 वें वर्ष के अवसर पर 15 अगस्त 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा ताम्रपत्र भेंट किया गया। 12 मार्च 1988 को उनका देहान्त हो गया। आज भी कपकोट (बागेश्वर) क्षेत्र उनके अविस्मरणीय कार्यो को याद करता है।

स्व0 चन्द्र सिंह शाही राजकीय महाविद्यालय कपकोट
एक परिचय

1. **कैरियर काउन्सलिंग एण्ड प्लेसमेण्ट सेल-** इसमें छात्रों के कैरियर के विषय में चयन, तैयारी और नियोजन सम्बन्धी परामर्श दिया जाता है जिसका उद्देश्य अनिश्चितता, बेचैनी तथा भावनात्मक तनावों का निवारण करना है, ताकि वे सुदृढ़ तथा सशक्त होकर सही निर्णय ले सकें। प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों एवं व्यक्तित्व विकास के परिप्रेक्ष्य में यहां व्याख्यानों और सेमिनारों का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही विभिन्न निजी और सरकारी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं।

2. **पुस्तकालय-** महाविद्यालय के पुस्तकालय से स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों को 04 पुस्तकें निर्गत की जा सकेंगी।

   अ. पुस्तकें सामान्यतः एक माह के लिये निर्गत की जाती हैं। विद्यार्थी एक माह बीत जाने पर पुस्तकें बदल सकते हैं।

   ब. विद्यार्थियों को महाविद्यालय पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें जमा किये बिना नो ड्यूज (अदेय प्रमाण पत्र) नहीं दिया जायेगा।

   स. पुस्तकालय से पुस्तकें लेने के लिये विद्यार्थियों को स्वयं उपस्थित होना है, बिना परिचय पत्र के पुस्तके निर्गत नहीं की जायेंगी। प्रत्येक कक्षा की पुस्तकें निर्गत करने हेतु समय सारणी निर्धारित की जायेगी। विद्यार्थी निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होकर ही पुस्तक ले सकेगा। समय सारिणी समय-समय पर सूचना पट पर चस्पा कर दी जायेगी।

3. **वाचनालय-** महाविद्यालय में छात्रों एवं छात्राओं के लिये वाचनालय की व्यवस्था है, जिसमें हिन्दी व अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र तथा पत्रिकायें मंगाई जाती हैं। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने खाली वादनों में वाचनालय में बैठकर इन पत्र-पत्रिकाओं को पढ़कर समय का सदुपयोग करें।

4. **एन0सी0सी0 (राष्ट्रीय कैडेट कोर)-** छात्र/छात्राऐं स्नातक स्तर पर एन0सी0सी0 में प्रवेश ले सकते हैं। वर्तमान में छात्र/छात्राओं हेतु एन.सी.सी. में 100 सीटें हैं।

5. **राष्ट्रीय सेवा योजना-**स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की व्यवस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षणेत्तर कार्यकलापों द्वारा समाज की सेवा करना है। वर्तमान में इसकी 02 इकाईयां कार्यरत है। प्रत्येक इकाई हेतु निर्धारित 100 छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर कुल 200 छात्र/छात्राओं का एन0एस0एस0 में पंजीकरण किया जाता है।

6. **क्रीड़ा एवं खेलकूद-** महाविद्यालय में क्रिकेट, वॉलीबॉल, कैरम, शतरंज एवं बैडमिन्टन आदि की व्यवस्था है।

7. **छात्रवृत्तियां तथा आर्थिक अनुदान- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक वर्ग** के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस हेतु सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र, पिता का आय प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पुराना न हो, गतवर्ष उत्तीर्ण अंकतालिका (यदि गैप है तो शपथ पत्र) आदि के साथ आवेदन करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर को जमा करेंगे। अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा तथा निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन अवश्य प्रस्तुत कर दें। **सामान्य वर्ग के निर्धन व मेधावी छात्रों को 'निर्धन छात्र सहायता कोष' से आर्थिक सहायता दी जाती है।**

8. **छात्र संघ–** लिंगदोह समिति की संस्तुतियों के आधार पर कुमाऊँ विश्वविद्यालय छात्र संघ संविधान के अधीन प्रत्येक वर्ष छात्र संघ के चुनाव कराए जाते हैं, जिससे छात्रों को सम्प्रेषण कौशल तथा लोकतांत्रिक नेतृत्व क्षमता का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता हैं। इस सन्दर्भ में सभी विद्यार्थियों को सचेत किया जाता है कि छात्र संघ निर्वाचन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सामग्री यथा पोस्टर, दीवारों पर लिखना, स्टीकर आदि महाविद्यालय या शहर में नहीं लगाये जायेंगे। इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं।

9. **सांस्कृतिक परिषद–** छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण चारित्रिक विकास में सांस्कृतिक परिषद का विशेष योगदान होता है। महाविद्यालय में सांस्कृतिक परिषद का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिसके पदाधिकारी महाविद्यालय के नियमित छात्र-छात्रायें होते हैं। परिषद के तत्वावधान में समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

10. **विभागीय परिषदें :** स्नातक स्तर के सभी विषयों में परिषदों का गठन किया जाता है। इन परिषदों के तत्वावधान में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विचार संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित अन्य पाठ्य विषयों का उपयोगी ज्ञान छात्रों को कराना भी इन परिषदों का मुख्य उद्देश्य है।

11. **शास्ता मण्डल–** महाविद्यालय का शास्ता मण्डल परिसर में सामान्य अनुशासन सुनिश्चित करते हुये महाविद्यालय प्रशासन के सलाहकार का कार्य करता है। इसमें मुख्य शास्ता तथा अन्य सदस्य शास्ता होते हैं।

12. **महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ–** इसका गठन संस्थागत छात्राओं को समुचित सुरक्षा प्रदान करने व सम्पूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु किया गया है। छात्राएँ अपनी किसी भी समस्या के विषय में यहाँ सम्पर्क कर सकती हैं।

13. **एण्टी-रैगिंग समिति–** महाविद्यालय परिसर में रैगिंग पूर्णतया निषिद्ध है। यदि रैगिंग में किसी छात्र-छात्रा को संलिप्त पाया गया तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय (UOU) अध्ययन केन्द्र

स्व.चन्द्र सिंह शाही रा.स्ना.महाविद्यालय में उ.मु. विश्वविद्यालय (यूओयू) का अध्ययन केन्द्र एवं क्षेत्रीय कार्यालय वर्ष 2010 से संचालित किया जा रहा है। यूओयू की स्थापना नवम्बर 2011 में उत्तराखण्ड शासन अधिनियम संख्या 23 द्वारा की गयी। इस महाविद्यालय के अध्ययन केन्द्र में वर्तमान में करीब 50 विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकृत हैं। जिनके लिये परामर्श सत्र नियमित रुप से महाविद्यालय में आयोजित किये जाते हैं। महाविद्यालय में संचालित किये जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

1.	Master Degree Programme
2.	Bachler Degree Programme
3.	स्नातक डिप्लोमा
4.	

नोट– समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश ग्रीष्मकाल एवं शीतकाल में होंगे। उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालयी द्वारा प्रदत्त मान्यतानुसार प्रवेश अन्य विश्वविद्यालयों के नियमित पाठ्यक्रम के साथ भी लिये जा सकते हैं अधिक जानकारी के लिये विद्यार्थी अध्ययन केन्द्र कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

सामान्य नियम

1. महाविद्यालय द्वारा विभिन्न क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में निर्गत सूचनाओं में निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।
2. परिसर में शान्ति व्यवस्था बनाना और कक्षाओं में व्यवधान उत्पन्न न करना विद्यार्थियों की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
3. छात्र/छात्रायें अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित प्रभारी अथवा छात्र/छात्रा अधिष्ठता से सम्पर्क करेंगे। किसी भी परिस्थिति में छात्र/छात्रायें सीधे प्राचार्य से नहीं मिल पायेंगे।
4. महाविद्यालय संचालन हेतु समय-समय पर जारी सूचनाएँ सूचना पट पर लगा दी जाती हैं। छात्र-छात्रायें प्रतिदिन सूचना पट पर लगायी गयी जानकारी पर ध्यान दें।
5. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासित रहते हुये निम्नलिखित बातों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।
   - 5.1. महाविद्यालय परिसर, चहारदिवारी तथा कक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का पोस्टर बैनर लगाना वर्जित है।
   - 5.2. विद्यार्थियों द्वारा अपने पास अग्नेयास्त्रों को लेकर महाविद्यालय परिसर में घूमना अपराध होगा, जिसकी तुरन्त प्राथमिक सूचना दर्ज करायी जायेगी।
   - 5.3. विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान करना, महाविद्यालय भवन के किसी हिस्से में पीक थूकना वर्जित है।
   - 5.4. महाविद्यालय की सम्पत्ति विद्यार्थियों की अपनी सम्पत्ति है। फर्नीचर आदि की सुरक्षा करना प्रत्येक विद्यार्थी का दायित्व होगा।
   - 5.5. महाविद्यालय के विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय में स्वच्छता एवं पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्द्धन के प्रति जागरुक रहेंगे।
   - 5.6. महाविद्यालय के मुख्य द्वार के आस-पास तथा महाविद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं द्वारा वाहन खड़ा करना निषिद्ध है। प्रत्येक छात्र/छात्रा अपना वाहन पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करेंगे।
   - 5.7. महाविद्यालय परिसर में कक्षाओं के भीतर मोबाईल फोन का प्रयोग वर्जित है।

5.8. उत्तराखण्ड शासन एवं उच्च शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अत: **छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रैस कोड का पूर्णतया पालन करना अनिवार्य है, वे महाविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रैस में ही परिसर में प्रवेश करें, अन्यथा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।**

ड्रेस कोड - छात्रों हेतु - ग्रे पैन्ट, सफेद कमीज

छात्राओं हेतु - ग्रे कमीज, सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा

प्रवेश प्रक्रिया

1. महाविद्यालय के सभी कक्षाओं में प्रवेश ऑनलाईन पद्धति से होते हैं। पंजीकरण के उपरान्त अभ्यर्थी महाविद्यालय से प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर अन्तिम तिथि से पूर्व महाविद्यालय में में जमा करेगा।
2. प्रवेश हेतु प्रवेशार्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा, साक्षात्कार के समय प्रवेशार्थी अपने मूल प्रमाण पत्रों, अन्तिम विद्यालय द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) व चरित्र निर्माण पत्र सहित प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश संस्तुत तथा हस्ताक्षर प्रमाणित करवायेंगे। मूल टी.सी. तथा चरित्र प्रमाण पत्र जमा करने पर ही प्रवेश होगा। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही महाविद्यालय का परिचय पत्र भी पूर्ण रुप से भरा जायेगा जो शुल्क जमा करने के साथ ही छात्र/छात्रा को प्रदान किया जायेगा। प्रवेशार्थी के प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष अनिवार्य रुप से उपस्थित होना होगा। अनुपस्थिति की दशा में प्रवेश सम्भव नहीं होगा। मूल टी.सी. के अभाव में प्रवेश स्वीकृत नहीं होगा।
3. जिन प्रवेशार्थियों को प्रवेश स्वीकृत कर दिया जाता है उन्हें महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। ऐसा न करने पर स्वीकृत प्रवेश स्वत: निरस्त हो जायेगा, तथा वरीयता क्रम में अगले प्रवेशार्थी को प्रवेश दिया जायेगा।
4. विश्वविद्यालय के प्रवेश नियम 1-12 पर विचार करना तभी सम्भव हो सकेगा जबकि नियमित विद्यार्थी बीमारी का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र और पुष्ट कारण के सापेक्ष साक्ष्य स्वरुप एफिडेविट प्रस्तुत करेगा।
5. प्रवेश की घोषित अन्तिम तिथि के तुरन्त बाद महाविद्यालय सूचना पट पर समय सारिणी चस्पा कर दी जायेगी तद्नुसार पठन-पाठन सम्पन्न होगा।
6. प्रत्येक विद्यार्थी को अपना परिचय पत्र अपने पास सुरक्षित रखना नितान्त आवश्यक है। **महाविद्यालय परिसर में बिना परिचय पत्र के प्रवेश पूर्णतया वर्जित है।**
7. परिचय पत्र का दुरुपयोग रोकने के लिये इस सत्र में यह व्यवस्था की जा रही है कि परिचय पत्र खोने की स्थिति में सम्बन्धित विद्यार्थी इस आशय का एक आवेदन पत्र शास्ता मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। शास्ता मण्डल द्वारा उनकी विधिवत् जांच होगी और **रुपया 50/- (रुपया पचास मात्र) अतिरिक्त शुल्क देने के उपरान्त ही परिचय पत्र की दूसरी प्रति** निर्गत की जायेगी। किसी विद्यार्थी के पास जाली परिचय पत्र पकड़े जाने पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उस विद्यार्थी पर अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
8. छात्र/छात्रायें अपना प्रवेश, परीक्षा, छात्रवृत्ति आदि के कार्यस्वयं करें, किसी भी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कार्य न करवायें अन्यथा जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्र-छात्रा की होगी।
9. प्रवेश हेतु स्वयं उपस्थित हो व चालान प्राप्त कर स्वयं अपना शुल्क जमा करें। साथ ही प्रवेश शुल्क महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के भीतर जमा करना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात् शुल्क हेतु निर्गत चालान स्वत: निरस्त समझा जायेगा।

110. **प्रवेश हेतु प्रवेश समिति के समक्ष अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।**

महाविद्यालय में संचालित विषय स्नातक-

1. हिन्दी, 2. अंग्रेजी, 3. संस्कृत, 4. अर्थशास्त्र, 5. शिक्षाशास्त्र, 6. राजनीतिशास्त्र, 7. समाजशास्त्र, 8. इतिहास, 9. गृह विज्ञान, 10. चित्रकला

कुमाँऊ विश्व विद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रुपों में से सत्र 2018-19 हेतु विषयों का चयन निम्नवत किया जायेगा- ग्रुप A से G तक के ग्रुपों मे से किसी भी ग्रुप में से एक-एक विषय का चयन करते हुये कुल 03 विषय चयन करें तथा ग्रुप H में से किसी एक विषय का चयन अनिवार्य रूप से करें।

GROUP A	B	C	D	E	F	G	H
English Lit. (141) हिन्दी साहित्य	Economics (121) हिन्दी साहित्य	History (171) इतिहास	Home Science (201) गृह विज्ञान	Politacal Science (253) राजनीति शास्त्र	Hindi Lit. (161) हिन्दी साहित्य	Sociology (281) समाजशास्त्र	Hindi Lang. (321) हिन्दी भाषा
Sanskrit Lit. (271) संस्कृत साहित्य	Drawing & Painting (111) चित्रकला						English Lang. (311) अंग्रेजी भाषा
	Education (131) शिक्षाशास्त्र						Sanskrat Lang. (331) संस्कृत भाषा

पर्यावरण विज्ञान

उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, यू0जी0सी0 द्वारा विश्वविद्यालयों में पर्यावरण विज्ञान के अध्ययन को स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर में अनिवार्य विषय के रुप में संचालित किया जा रहा है। विद्यार्थी को स्नातक डिग्री इस पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने पर ही दी जायेगी।

यह पाठ्यक्रम पर्यावरण के प्रति विद्यार्थियों में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए सम्मिलित किया गया है।

टिप्पणी :-

प्राप्तांकों के आधार पर निम्नांकित ग्रेड दिये जाऐंगे तथा उत्तीर्ण होना (न्यूनतम 'सी' ग्रेड प्राप्त करना) अनिवार्य होगा।

A+	75 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक
B	60-70 प्रतिशत प्राप्तांक
C	45-59.9 प्रतिशत प्राप्तांक
D	30-44.9 प्रतिशत प्राप्तांक
F	30 प्रतिशत से कम (अनुर्त्तीण)

विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालय की स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (बी0ए0/बी0एस0-सी0/बी0कॉम0/एम0ए0/एम0कॉम0/एम0एस0-सी0) की कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता निर्धारण के नियम शिक्षा सत्र : 2018-19

अध्याय-2 कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु योग्यता सूची निर्धारण के नियम स्नातक प्रथम वर्ष में सेमेस्टर प्रणाली लागू की जा रही है।

2-1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट कक्षा में प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किये जायेंगे।

2-1(क) कला, दृश्य कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी:-

(1)कला संकाय, दृश्य कला हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

(2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिण्ट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)

(3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण अथवा इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

(4) अनुसूचित जाति तथा जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के लिये प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

2-1(ख) यदि किसी विद्यार्थी का अर्ह परीक्षा के उपरान्त सम्बन्धित विषयों के अध्ययन में अवरोध आया हो तथा किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर अनुर्तीर्ण न हुआ हों, तो प्रत्येक अवरोध वर्ष के लिये प्राप्तांकों में से 5 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता क्रम से प्रवेश दिया जा सकता है।

2-1(ग) यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय की स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुन: प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (जैसे- विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में विधिवत प्रवेश लेने हेतु आवेदन करना होगा। जिसके उपरान्त ऐसे छात्र को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2-1(क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिये प्राप्तांकों में से 06 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है। ऐसे प्रवेशित छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में आवंटित नामांकन संख्या का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रवेशित छात्रों को लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

2-2 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आये व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहिन से वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जायेगा, यदि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो। यह सुविधा तभी दी जा सकेगी जब की पूर्व विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम 75 प्रतिशत कुमाऊँ विश्वविद्यालय से मिलता हो और जिसकी संस्तुति कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।

2-3 शिक्षणेत्तर कार्य-कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर कुलपति अपने विवेक से प्रवेश दे सकते हैं।

2-4 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में अस्थायी प्रवेश अनुमन्य करते हुये पठन-पाठन पगारम्भ किया जायेगा।

2-6 कला संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा:-

(1) कोई भी स्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थी (स्नातक की उपाधि यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा स्नातक की उपाधि कम से कम तीन वर्ष की होनी चाहिये) जिसने स्नातक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की हो, को स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में कला संकाय के प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर अन्य विषयों मे प्रवेश अर्ह माना जायेगा।

(2) कला स्नातक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को भी यह सुविधा रहेगी कि वे कला संकाय के किसी भी ऐसे विषय में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे, जिसमें प्रयोगात्मक परीक्षा न होती हो। कला संकाय के किसी प्रयोगात्मक विषय (भूगोल के अतिरिक्त) स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु वे ही छात्र अर्ह होंगे जिन्होंने स्नातक उपाधि उस प्रयोगात्मक विषय को लेकर प्राप्त की हो।

निदेशक, डी0आई0सी0
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

कुल सचिव
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

प्राचार्य डॉ0 ए0के0 जोशी मोबाईल- 9412963898

प्राध्यापक-वर्ग (Teaching Staff)

अंग्रेजी विभाग	डॉ0 के0के0 पन्त	मोबाइल- 9411367238
हिन्दी विभाग-	डॉ0 नीता शाह	मोबाइल- 9412950914
चित्रकला विभाग	श्रीमती ममता सुयाल	मोबाइल- 9456105557
संस्कृत विभाग	डॉ0 मुन्ना जोशी	मोबाइल- 9410598968
अर्थशास्त्र विभाग	डॉ0 पवन कुमार झा	मोबाइल- 9410306939
समाजशास्त्र विभाग	कल्पना जोशी	मोबाइल- 9012056864
गृह विज्ञान विभाग	पूजा लोहिया	मोबाइल- 9410905452
शिक्षाशास्त्र विभाग	रेनू जोशी	मोबाइल- 8650653477
राजनीतिशास्त्र विभाग	जुगल किशोर जोशी	मोबाइल- 7830583296
इतिहास विभाग	बलवन्त सिंह	मोबाइल- 8859051305

शिक्षणेत्तर कर्मचारी

तृतीय श्रेणी कर्मचारी

1.	दीपक पन्त	वरिष्ठ सहायक	मोबाइल- 8889803696
2.	दीपक आर्या	कनिष्ठ सहायक (उपनल)	मोबाइल- 9720159455

प्रयोगशाला सहायक

1.	संगीता ध्यानी	गृह विज्ञान (उपनल)	मोबाइल- 9536652335

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. रोहित कुमार (पी.आर.डी.)
2. श्रीमती हंसी देवी (उपनल)
3. श्री नवीन सिंह (उपनल)

स्व0 चन्द्र सिंह शाही राजकीय महाविद्यालय कपकोट (बागेश्वर) अवकाश सूची वर्ष- 2018

क्र. सं.	अवकाश का विवरण	अवकाश की तिथि	दिन	राजपत्रित	निबन्धित	वार्षिक दीर्घावकाश
1.	गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती	05.01.2018	शुक्रवार	01	-	-
2.	शीतावकाश	08.01.2018 से 12.02.2018 तक	सोमवार से सोमवार	01	-	30
3.	गणतंत्र दिवस	26.01.2018	शुक्रवार	01	-	-
4.	महाशिव रात्रि	14.02.2018	बुधवार	01	-	-
5.	होली अवकाश व चेटीचन्द	27.02.2018 से 03.03.2018 तक	मंगलवार से शनिवार	01	-	03
6.	होलिका दहन	01.03.2018	गुरूवार	-	01	-
7.	रामनवमी	25.03.2018	रविवार	01	-	-
8.	महावीर जयन्ती	29.03.2018	गुरूवार	01	-	-
9.	गुड फ्राइडे	30.03.2018	शुक्रवार	01	-	-
10.	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जयन्ती	14.04.2018	शनिवार	01	-	-
11.	बुध पूर्णिमा	29.05.2018	मंगलवार	01	-	-
12.	ग्रीष्मावकाश	07.06.2018 से 30.06.2018 तक	गुरूवार से शनिवार	00	-	20
13.	ईद उल फितर	15.06.2018	शुक्रवार	01	-	-
14.	स्वतन्त्रा दिवस	15.08.2018	बुधवार	01	-	-
15.	ईद-उल-जूहा (बकरीद)	22.08.2018	बुधवार	01	-	-
16.	श्री कृष्णा जन्माष्टमी	03.09.2018	सोमवार	01	-	-
17.	विश्वकर्मा पूंजा	17.09.2018	सोमवार	01	-	-
18.	मोहर्रम	21.09.2018	शुक्रवार	01	-	-
19.	महात्मा गांधी जयन्ती	02.10.2018	मंगलवार	01	-	-
20.	दशहरा	19.10.2018 से 23.10.2018 तक	शुक्रवार से मंगलवार	01	-	03
21.	महर्षि वाल्मिकी जयन्ती	24.10.2018	बुधवार	01	-	-
22.	दीपावली	05.11.2018 से 10.11.2018 तक	सोमवार से शनिवार	01	-	04
23.	नरहर चर्तुदर्शी	06.11.2018	मंगलवार	-	01	-
24.	ईद ए मिलाद उल्नवी बरावफात	21.11.2018	बुधवार	01	-	-
25.	गुरूनानक जयन्ती	23.11.2018	शुक्रवार	01	-	-
26.	गुरू तेगबहादुर शहीद	24.11.2018	शनिवार	01	-	-
27.	क्रिसमस	25.11.2018	मंगलवार	01	-	-

नोट- यह त्योहार स्थानीय चन्द्रदर्शन के अनुसार मनायें जायेंगे। अवकाशों में स्थितिनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

राजपत्रित व कार्यकारी अवकाश (रविवार छोड़कर)	- 24
वार्षिक दीर्घावकाश	- 60
निबन्धित अवकाश	- 02
प्राचार्य विवेकाधीन	- 03
रविवार	- 52
योग	- 141
कुल शिक्षण कार्य दिवस	- 224
वर्ष के दिन	- 365

महाविद्यालय के प्रभारीगण

1.	पुस्तकालय प्रभारी	डॉ. पवन कुमार झा
2.	महाविद्यालय विकास	डॉ. के.के. पन्त
3.	प्रभारी नैक (NAAC)	ममता सुयाल
4.	मुख्य अनुशास्ता (चीफ प्रॉक्टर)	डॉ. के.के. पन्त (छात्र), डॉ0 नीता शाह (छात्रा)
5.	प्रभारी राष्ट्रीय सेवा योजना	श्रीमती ममता सुयाल, डॉ. नीता शाह
6.	परीक्षा प्रभारी	डॉ0 नीता शाह
7.	छात्र संघ	डॉ0 नीता शाह
8.	एन0सी0सी0 अधिकारी	डॉ. मुन्ना जोशी
9.	प्रभारी सांस्कृतिक परिषद	श्रीमती ममता सुयाल
10.	महिला शिकायत	डॉ0 नीता शाह
11.	नोडल अधिकारी–AISHE	डॉ0 पवन कुमार झा
12.	प्रभारी क्रीड़ा	डॉ. मुन्ना जोशी
13.	प्रभारी वाचनालय	डॉ. पवन कुमार झा
14.	समन्वयक उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	डॉ0 मुन्ना जोशी
15.	वार्षिक कैलेण्डर अवकाश सूची	डॉ0 के.के. पन्त
16.	संयोजक कैरियर काउंसिलिंग व प्लेसमेंट प्रकोष्ठ	डॉ. पवन कुमार झा
17.	छात्रवृत्ति/निर्धन छात्र सहायता	डॉ. के.के. पन्त
18.	प्रभारी रैगिंग विरोधी समिति एवं दस्ता	डॉ. के.के. पन्त